योजना का नाम – **निःशुल्क सायकिल**

योजना का संक्षिप्त विवरण :–

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कक्षा 6 में दर्ज होने वाली ऐसी बालिकायें जिनके ग्राम में माध्यमिक शाला नहीं है तथा जो अन्य ग्राम की माध्यमिक शाला में दर्ज होती है, को निःशुल्क साइकिल वितरित की जाती है। सायकिल वितरण हेतु प्रति बालिका रू. 2000 (दो हजार केवल) की राशि प्रदान की जाती है। इस राशि से बालिका/पालक द्वारा पालक शिक्षक संघ के माध्यम से सायकिल क्रय करेगी।

योजना के तहत लाभ स्वीकृत करने वाले/सहायता पहुॅचाने वाले सक्षम अधिकारी/संपक्र अधिकारी का नाम :–

संबंधित शाला जिसमें बालिका अध्ययनरत् है का पालक शिक्षक संघ।

योजना का लाभ उठाने के लिये पात्रता की शर्ते :–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिका होना चाहिए।
2. रहवासी ग्राम में माध्यमिक शाला नहीं होनी चाहिये।
3. अन्य ग्राम की माध्यमिक शाला में कक्षा 6 में दर्ज होना चाहिए।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया :–

बालिका को शासकीय माध्यमिक शाला में दर्ज होना चाहिए। प्रति बालिका रू. 2000/–(दो हजार केवल) के मान से राशि पालक शिक्षक संघ को प्रदान की जाती है। जिसके माध्यम से बालिका/पालक द्वारा सायकिल क्रय की जाती है। दर्ज होने मात्र से ही वह पात्र हो जाती है।

15 अगस्त तक सायकिल प्राप्त न होने पर पालक शिक्षक संघ प्रभारी शिक्षक संबंधित माध्यमिक शाला से संपक्र कर सकती है। सायकिल प्राप्त न होने पर जिले के जिला परियोजना समन्वयक एवं कलेक्टर से संपक्र किया जा सकता है।